



Neutral Citation No.-2026:AHC:567

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-33656 वर्ष 2025**

सुवेश ..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: ब्रजेश कुमार सोलंकी, सम्राट विक्रम सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री ब्रजेश कुमार सोलंकी, राज्य विधि अधिकारी श्री जेके चौरसिया को सुना।
3. आवेदक की ओर से यह तीसरी ज़मानत याचिका है। पहले मामले को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-9903 वर्ष 2021 में पारित दिनांक 11.8.2021 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया था। दूसरे को इस न्यायालय ने उसी पीठ द्वारा दिनांक 15.2.2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था, जो आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-42615 वर्ष 2022 में पारित किया गया था।
4. प्रस्तुत ज़मानत आवेदन आवेदक द्वारा 2021 के सत्र परीक्षण संख्या-847 में दायर किया गया है, जो 2020 के केस अपराध संख्या-227 से उत्पन्न होता है, धारा 302, 504 भ०द०वि०, थाना-उशैत, ज़िला: बदायूं के तहत, उसे ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने एक नए आधार के रूप में कहा है कि आवेदक 7.10.2020 से जेल में है, इस प्रकार, कैद की अवधि पांच वर्ष से अधिक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। अंतिम रिपोर्ट (आरोप पत्र) में

अस्वीकरण. अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इक्कीस गवाहों को नामित किया गया है और अब तक केवल ग्यारह गवाहों से पूछताछ की गई है, इसलिए निकट भविष्य में मुकदमे के निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. ततस्य विपरीत, राज्य के विधि अधिकारी ने इस आधार पर जमानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है कि मुकदमा लगभग अपने निर्णायक अंत में है। आवेदक के अधिवक्ता रणनीति में देरी कर रहे हैं और आवेदक को जमानत देने के लिए कोई नया आधार नहीं है। इस न्यायालय ने मुकदमे की स्थिति की मांग की है। दिनांक 16.12.2025 की रिपोर्ट के अनुसार, केवल ग्यारह गवाहों से पूछताछ की गई है और आरोप पत्र में बदलाव के लिए एक विविध आवेदन पर सुनवाई के लिए मामला तय किया गया है।

7. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने और पक्षों के अधिवक्ताओं की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों, विचारण न्यायालय से प्राप्त स्थिति रिपोर्ट और अपराध में आवेदक की मिलीभगत को ध्यान में रखते हुए, मुझे यह आवेदक को जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं लगता। जमानत आवेदन गुण-दोष से रहित पाया जाता है और तदनुसार, **खारिज** किया जाता है।

8. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जैसा कि **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एस.सी.सी. 702**, के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है, अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षकारों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जनवरी 5, 2026

शालिनी

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)